

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 466]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 25 नवम्बर 2021—अग्रहायण 4, शक 1943

पशुपालन एवं डेयरी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2021

क्र. 2959-आर. 2968-2021-पैतीस.—भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) के अंतर्गत धारा 32(1) के तहत प्रदत्त अधिकारों के तहत राज्य शासन, एतद्द्वारा, राज्य पशु चिकित्सा परिषद् हेतु निम्नलिखित को पदेन सदस्य के रूप में नामांकित किया जाता है:—

1. धारा 32(1) उपधारा 1(b) के अंतर्गत डॉ. एस. पी. तिवारी, कुलपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश.
2. धारा 32(1) उपधारा 1(d) के अंतर्गत डॉ. आर. के. मेहिया, संचालक, पशुपालन, मध्यप्रदेश, भोपाल.
3. धारा 32(1) उपधारा 1(e) के अंतर्गत डॉ. आर. के. रोकडे, सेनि. संचालक, पशुपालन, मध्यप्रदेश, भोपाल.

No.2959-R-2968-2021--XXXV.—In exercise of the powers conferred by Rule 32(1) of Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), the Government of Madhya Pradesh, hereby, nominate the following members for the Madhya Pradesh State Veterinary Council :—

1. In the rule 32 clause 1 sub clause b - Dr. Sita Prasad Tiwari, Vice-chancellor Nanaji Deshmukh Veterinay Science University, Jabalpur (Madhya Pradesh).
2. In the rule 32 clause 1 sub clause d - Dr. Rajendra Kumar Mehia, Director, Animal Husbandary, Government of Madhya Pradesh, Bhopal.
3. In the rule 32 clause 1 sub clause e - Dr. Rajendra Kumar Rokade, Retd. Director, Aanimal Husbandary Government of Madhya Pradesh, Bhopal.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एन. कांसोटिया, अपर मुख्य सचिव.